

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 5(1)चिस्वा/2/2024/1464

जयपुर,दिनांक:

आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8क के नीचे राज्य सरकार के निर्णय संख्या 5 में दिये गये प्रावधान के अनुसार डॉ0 चौधरी प्रवीण रामलाल का नाम 'डॉ0 चौधरी प्रवीण रामलाल' के स्थान पर 'डॉ0 प्रवीण चौधरी' किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः भविष्य में इन्हें "डॉ0 प्रवीण चौधरी" नाम से ही जाना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज0 जयपुर।
2. निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 अजमेर।
3. निदेशक(जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
4. निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग, राज0 अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलवा, रायपुर, ब्यावर।
7. डॉ0 प्रवीण चौधरी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर, ब्यावर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
7271879

Document certified by PREETI MATHUR
<adweccell.we@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :02-06-2024 12:42:26

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./पी-1464/2024/243

दिनांक : 06/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 02.06.2024 के क्रम में।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान अजमेर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, सीएचसी पीलवा, रायपुर, ब्यावर।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित एटीसी/डीपीसी, मुख्यालय।
9. डॉ० प्रवीण चौधरी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सीएचसी केन्द्र रायपुर, ब्यावर।
- ✓ 10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
11. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7771193

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date : 05-06-2024 11:26:06